

प्रेषक,

टी0के0 शिबु,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0143/लेखा-पेंशन/डी0आर0डी0ए0/18, दिनांक 07-08-2018, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत डीआरडीए कार्मिकों के द्वितीय तिमाही के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु धनराशि रु0 1983.228 लाख निर्गमित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत धनराशि रु0 13221.52 लाख के बजट प्रावधान के सापेक्ष कार्मिकों के वेतन भुगतान की अपरिहार्यता के दृष्टिगत राज्यांश मद में धनराशि रु0 1983.228 लाख (रूपये उन्नीस करोड़ तिरासी लाख बाइस हजार आठ सौ मात्र) स्वीकृत करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- (1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय।
- (2) उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।
- (4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2019 को समर्पित कर दी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2 के अशा0 पत्र संख्या-यू0ओ0ई-2-913/X-18 दिनांक 12-09-2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

टी0के0 शिबु
विशेष सचिव।

संख्या-34/2018/ डी-1039/38-2-2018 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
- 3- अपर आयुक्त (वित्त) ग्राम्य विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।
- 5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
- 6- ग्राम्य विकास अनु0-3
- 7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन लखनऊ।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।